

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला बून्दी (राज0)

वाद पत्र संख्या :-

142/सन् 2019

पीठासीन अधिकारी

कमल कुमार मीना (RAS)

1. गुरुद्वीप सिंह आत्मज श्री सिंगारा सिंह जाति जट सिक्ख निवासी सुवांसा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राजस्थान।
2. कुलदीप सिंह आत्मज श्री सिंगारा सिंह जाति जट सिक्ख निवासी सुवांसा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राजस्थान।
3. रणजीत सिंह आत्मज श्री सिंगारा सिंह जाति जट सिक्ख निवासी सुवांसा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राजस्थान।

वादीगण

बनाम

1. कश्मीर कौर उर्फ प्रीत कौर पुत्री श्री सिंगारा सिंह पत्नी नक्षत्र सिंह जाति जट सिक्ख निवासी खरका जिला कैथल (पंजाब)
2. बलवीर कौर उर्फ जसवीर कौर पुत्री श्री सिंगारा सिंह पत्नी बलकार सिंह जाति जट सिक्ख निवासी वैरुवाल बाबिया का जिला अमृतसर (पंजाब)
3. बलविन्दर कौर पुत्री श्री सिंगारा सिंह पत्नी जोगा सिंह जाति जट सिक्ख निवासी ग्राम लक्ष्मीपुरा (केलवाड़ा) जिला बॉरा, राजस्थान
4. सुखविन्दर सिंह आत्मज श्री प्रगट सिंह जाति जट सिक्ख निवासी खनौरी मण्डी तहसील पातड़ा जिला पटियाला (पंजाब)
5. गुरुचरण सिंह आत्मज श्री प्रगट सिंह जाति जट सिक्ख निवासी खनौरी मण्डी तहसील पातड़ा जिला पटियाला (पंजाब)
6. राजस्थान राज्य जय्ये श्रीमान तहसीलदार महोदय तालेड़ा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राजस्थान।

- प्रतिवादीगण



उपखण्ड अधिकारी
तालेड़ा जिला बून्दी

वाद अन्तर्गत धारा 92, 88, 89, 188, 209, आर.टी. एक्ट

दिनांक :- 05.01.2021

-: निर्णय :-

1. वादीगण की ओर से यह वाद पत्र अधिकार घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दिनांक 05-12-2019 को प्रतिवादीगण के विरुद्ध पेश किया गया।
2. वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है :- वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 आपस में सगे भाई बहिन हैं। प्रतिवादी संख्या 4 व 5 वादीगण की मृत बहिन वीरपाल कौर के पुत्र हैं। पक्षकारान हिन्दू विधि से शासित हैं। वादीगण की पैतृक कृषि भूमि खसरा संख्या 1001 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा वाके ग्राम बाजड़ तहसील तालेड़ा जिला बून्दी, राजस्थान में स्थित है। उपरोक्त कृषि भूमि में वादीगण संयुक्त रूप से 1/6 हिस्सा निहित है तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 ने अपने पिता के जीवित अवस्था में ही उपरोक्त कृषि भूमि में निहित अपने हक व अधिकारों को नकद रूपया पैसा लेकर वादीगण के पक्ष में छोड़ दिया था तब से वादीगण उक्त भूमि के 1/6 हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं उपरोक्त भूमि पर प्रतिवादीगण का कोई हक व अधिकार नहीं है मात्र राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज हो रहा है।

इसी प्रकार वादीगण की पैतृक कृषि भूमि खसरा संख्या 1575 रकबा 7 बीघा वाके ग्राम सुवांसा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी, राजस्थान में स्थित है। उपरोक्त कृषि भूमि में वादीगण का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा निहित है तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 ने अपने पिता के जीवित अवस्था में ही उपरोक्त कृषि भूमि में निहित अपने हक व अधिकारों को नकद रूपया पैसा लेकर वादीगण के पक्ष में छोड़ दिया था तब से वादीगण उक्त भूमि के 1/3 हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं उपरोक्त भूमि पर प्रतिवादीगण का कोई हक व अधिकार नहीं है मात्र राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज हो रहा है।

इसी प्रकार वादीगण की पैतृक कृषि भूमि खसरा संख्या 595/334 रकबा 16 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम चांदनहैली तहसील तालेड़ा जिला बून्दी, राजस्थान में स्थित है। उपरोक्त कृषि भूमि में वादीगण का संयुक्त रूप से 1/6 हिस्सा निहित




उपखण्ड अधिकारी
तालेड़ा जिला बून्दी

था तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 ने अपने पिता के जीवित अवस्था में ही उपरोक्त कृषि भूमि में निहित अपने हक व अधिकारों को नकद रूपया पैसा लेकर वादीगण के पक्ष में छोड़ दिया था तब से वादीगण उक्त भूमि के 1/6 हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं उपरोक्त भूमि पर प्रतिवादीगण का कोई हक व अधिकार नहीं है मात्र राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज हो रहा है। उपरोक्त कृषि भूमि में निहित वादी संख्या 1 व 2 ने संयुक्त रूप से अपने हिस्से में से 2/42 हिस्सा मलकीत सिंह आत्मज श्री बलदेव सिंह को बेचान कर दिया, बेचान के पश्चात उपरोक्त कृषि भूमि में वादी संख्या 1 का 4/126 हिस्सा, वादी संख्या 2 का 4/126 हिस्सा तथा वादी संख्या 3 रणजीत सिंह का 7/126 हिस्सा शेष रहा।

इसी प्रकार वादीगण की पैतृक कृषि भूमि खसरा संख्या 666/454 रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा, खसरा संख्या 673/464 रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम चांदन हैली तहसील तालेड़ा जिला बून्दी, राजस्थान में स्थित है। उपरोक्त कृषि भूमि खसरा संख्या 666/454 रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा में से वादी संख्या 1 व 2 गुरद्वीप व कुलद्वीप के द्वारा सुखदेव सिंह आत्मज श्री चिरमल सिंह को 121/675 हिस्सा बेचान के पश्चात खसरा संख्या 666/454 रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा में वादी संख्या 1 व 2 का संयुक्तरूप से 329/675 हिस्सा शेष रहा तथा खसरा संख्या 673/464 रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा में वादीगण का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा निहित है तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 ने अपने पिता के जीवित अवस्था में ही उपरोक्त कृषि भूमि में निहित अपने हक व अधिकारों को नकद रूपया पैसा लेकर वादीगण के पक्ष में छोड़ दिया था तब से वादीगण उक्त कृषि भूमि पर उपर वर्णित हिस्सानुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं उपरोक्त भूमि पर प्रतिवादीगण का कोई हक व अधिकार नहीं है मात्र राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज हो रहा है।

यह कि वाद पत्र की चरण संख्या 2 लगायत 5 में वर्णित कृषि भूमि में से वादीगण, प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 का नाम राजस्व रिकार्ड से विलोपित करवाने के अधिकारी है तथा वाद वर्णित तथ्य के अनुसार खातेदारी अधिकारों की घोषणा माननीय न्यायालय से करवाने के अधिकारी है तथा अन्त में प्रार्थना की गई कि कृषि भूमि खसरा संख्या 1001 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा वाके ग्राम बाजड़ तहसील तालेड़ा



उपखण्ड अधिकारी
तालेड़ा जिला बून्दी

जिला बून्दी, राजस्थान मे स्थित है। उपरोक्त कृषि भूमि का वादीगण को संयुक्त रूप से 1/6 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करने के लिए तहसीलदार तालेड़ा को आदेशित किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 का नाम राजस्व रिकार्ड से विलोपित किया जावे।

इस प्रकार वाद पत्र की चरण संख्या 3 मे वर्णित कृषि भूमि खसरा संख्या 1575 रकबा 7 बीघा वाके ग्राम सुवांसा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी, राजस्थान मे स्थित है। उपरोक्त कृषि भूमि मे वादीगण को संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करने के लिए तहसीलदार तालेड़ा को आदेशित किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 का नाम राजस्व रिकार्ड से विलोपित किया जावे।

इस प्रकार वाद पत्र की चरण संख्या 4 मे वर्णित कृषि भूमि खसरा संख्या 595/334 रकबा 16 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम चांदनहैली तहसील तालेड़ा जिला बून्दी, राजस्थान मे स्थित है। उपरोक्त कृषि भूमि पर वादी संख्या 1 को 4/126 हिस्सा का खातेदार एवं वादी संख्या 2 को 4/126 हिस्सा का खातेदार तथा वादी संख्या 3 को 7/126 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करने के लिए तहसीलदार तालेड़ा को आदेशित किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 का नाम राजस्व रिकार्ड से विलोपित किया जावे।

इस प्रकार वाद पत्र की चरण संख्या 5 मे वर्णित कृषि भूमि खसरा संख्या 666/454 रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम चांदन हैली तहसील तालेड़ा जिला बून्दी मे स्थित है उपरोक्त कृषि भूमि मे वादी संख्या 1 व 2 को संयुक्त रूप से 329/675 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे तथा वादी संख्या 3 को उपरोक्त भूमि पर 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे इसी प्रकार कृषि भूमि खसरा संख्या 673/464 रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम चांदन हैली तहसील तालेड़ा जिला बून्दी, राजस्थान मे स्थित है उपरोक्त भूमि पर वादीगण को संयुक्तरूप से 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 का नाम राजस्व रिकार्ड से विलोपित किया जावे।



उपखण्ड अधिकारी
तालेड़ा जिला बून्दी

वादीगण के द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ज सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 ने न्यायालय में उपस्थित होकर इकबालिया जवाब पेश किया तथा वाद वर्णित तथ्यों के आधार पर निर्णय व डिक्री किये जाने में सहमति प्रकट की।

4. वादीगण की ओर से रणजीत सिंह पी.डब्लू 1 गुरद्वीप सिंह पी.डब्लू 2, तथा कुलद्वीप सिंह पी.डब्लू 3 का शपथ पत्र पेश किया। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 1 जमाबन्दी संवत् 2074-76 ग्राम चान्दनहैली, प्रदर्श 2, जमाबन्दी संवत् 2073-76 ग्राम चान्दनहैली, प्रदर्श 3, जमाबन्दी संवत् 2072-75 ग्राम सुंवासा, प्रदर्श 4 जमाबन्दी संवत् 2072-75 ग्राम बाजड पेश किये।

5. हमने वादीगण एवं प्रतिवादीगण की बहस सुनी गई। दौराने बहस वादी वकील ने वाद वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये वादीगण का वाद पत्र निर्णय व डिक्री किये जाने का निवेदन किया। हमने उभयपक्षों की बहस सुनने के पश्चात पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय बिन्दू यह है कि वादीगण वाद वर्णित तथ्यों के आधार पर वाद वर्णित कृषि भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है ? इस सम्बन्ध में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के द्वारा वाद वर्णित कृषि भूमि में वादीगण की खातेदारी में दिये जाने में सहमति प्रदान की गई है तथा वादीगण के वाद पत्र को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार किया गया है। इस प्रकार वादीगण इस तथ्य को साबित करने में पूर्णतया सफल रहे है कि वाद वर्णित कृषि भूमि पर प्रतिवादीगण का कोई हक व अधिकार नहीं है तथा प्रतिवादीगण के द्वारा वादीगण के वाद पत्र को स्वीकृत किया जाता है तो स्वीकृति के आधार पर निर्णय किये जाने सम्बन्धित विधि का अवलोकन करे जो इस प्रकार है :-

"order 12 Rule6 c.p.c."

{ Rule 6 judgment on admission - (1) where admission of fact have been made either in the pleading or other wise, whether orally or in writing, the court may at any stage of the suit, either on the application of any party of its own motion and without waiting for the determination of any other question



उपखण्ड अधिकारी
तालेडा जिला बून्दी

between the parties, make such order or give such judgment as it may think fit, having regard to such admission."

साथ ही R.B.J. (S) 1998 P.N-615

सरकार बनाम कान सिंह

उक्त प्रकरण मे माननीय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है

Rajasthan Tenancy Act. 1955 - section 88- khatedar tenant can transfer his khatedari rights on the basis of compromise.

उपरोक्त न्यायायिक नजीर मे प्रतिपादित सिद्धान्तों एवं प्रतिवादीगण की स्वीकृति के आधार पर वादीगण वाद वर्णित कृषि भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी पाये जाते है।

—: निर्णय :—

परिणामस्वरूप वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर कृषि भूमि खसरा संख्या 1001 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा वाके ग्राम बाजड़ तहसील तालेड़ा जिला बून्दी, राजस्थान मे स्थित है। उपरोक्त कृषि भूमि का वादीगण को संयुक्त रूप से 1/6 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाता है तथा राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करने के लिए तहसीलदार तालेड़ा को आदेशित किया जाता है साथ ही मे प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 एवं प्रतिवादी संख्या 4 व 5 की माता वीरपाल कौर का नाम राजस्व रिकार्ड से विलोपित किया जावे।

इस प्रकार वाद पत्र की चरण संख्या 3 मे वर्णित कृषि भूमि खसरा संख्या 1575 रकबा 7 बीघा वाके ग्राम सुवांसा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी, राजस्थान मे स्थित है। उपरोक्त कृषि भूमि मे वादीगण को संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाता है तथा राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करने के लिए तहसीलदार तालेड़ा को आदेशित किया जाता है साथ ही मे प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 एवं प्रतिवादी संख्या 4 व 5 की माता वीरपाल कौर का नाम राजस्व रिकार्ड से विलोपित किया जावे।




उपखण्ड अधिकारी
तालेड़ा जिला बून्दी

10/01/21

इस प्रकार वाद पत्र की चरण संख्या 4 में वर्णित कृषि भूमि खसरा संख्या 395/334 रकबा 16 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम चांदनहैली तहसील तालेड़ा जिला बून्दी, राजस्थान में स्थित है। उपरोक्त कृषि भूमि पर वादी संख्या 1 को 4/126 हिस्सा का खातेदार एवं वादी संख्या 2 को 4/126 हिस्सा का खातेदार तथा वादी संख्या 3 को 7/126 हिस्सा का खातेदार घोषित किया गया जाता है तथा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के लिए तहसीलदार तालेड़ा को आदेशित किया जाता है साथ ही प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 एवं प्रतिवादी संख्या 4 व 5 की माता वीरपाल कौर का नाम राजस्व रिकार्ड से विलोपित किया जावे।

इस प्रकार वाद पत्र की चरण संख्या 5 में वर्णित कृषि भूमि खसरा संख्या 666/454 रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम चांदन हैली तहसील तालेड़ा जिला बून्दी में स्थित है उपरोक्त कृषि भूमि में वादी संख्या 1 व 2 को संयुक्त रूप से 329/675 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है तथा वादी संख्या 3 को उपरोक्त भूमि पर 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है, इसी प्रकार कृषि भूमि खसरा संख्या 673/464 रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम चांदन हैली तहसील तालेड़ा जिला बून्दी, राजस्थान में स्थित है उपरोक्त भूमि पर वादीगण को संयुक्तरूप से 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है तथा तहसीलदार तालेड़ा को आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में उपरोक्त हिस्सानुसार वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 एवं प्रतिवादी संख्या 4 व 5 की माता वीरपाल कौर का नाम राजस्व रिकार्ड से विलोपित किया जावे। यदि कोई बैंक रहन हो तो बैंक रहन बदस्तुर रहेगा। उपरोक्तानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 05.01.2021 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरेडजलास सुनाया गया।



(कमल कुमार मीना)
उप उपर अधिकारी
तालेड़ा जिला बून्दी

डिक्री ब मुकदमें इत्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला बून्दी

इजलास: कमल कुमार मीना आर0ए0एस0

1. गुरुद्वीप सिंह आत्मज श्री सिंगारा सिंह जाति जट सिक्ख निवासी सुवांसा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राजस्थान।
2. कुलदीप सिंह आत्मज श्री सिंगारा सिंह जाति जट सिक्ख निवासी सुवांसा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राजस्थान।
3. रणजीत सिंह आत्मज श्री सिंगारा सिंह जाति जट सिक्ख निवासी सुवांसा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राजस्थान।

वादीगण

बनाम

1. कश्मीर कौर उर्फ प्रीत कौर पुत्री श्री सिंगारा सिंह पत्नी नक्षत्र सिंह जाति जट सिक्ख निवासी खरका जिला कैथल (पंजाब)
2. बलवीर कौर उर्फ जसवीर कौर पुत्री श्री सिंगारा सिंह पत्नी बलकार सिंह जाति जट सिक्ख निवासी वैरुवाल बाबिया का जिला अमृतसर (पंजाब)
3. बलविन्दर कौर पुत्री श्री सिंगारा सिंह पत्नी जोगा सिंह जाति जट सिक्ख निवासी ग्राम लक्ष्मीपुरा (केलवाड़ा) जिला बॉरा, राजस्थान
4. सुखविन्दर सिंह आत्मज श्री प्रगट सिंह जाति जट सिक्ख निवासी खनौरी मण्डी तहसील पातड़ा जिला पटियाला (पंजाब)
5. गुरुचरण सिंह आत्मज श्री प्रगट सिंह जाति जट सिक्ख निवासी खनौरी मण्डी तहसील पातड़ा जिला पटियाला (पंजाब)
6. राजस्थान राज्य जर्गे श्रीमान तहसीलदार महोदय तालेड़ा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राजस्थान।



— प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
तालेड़ा जिला बून्दी

वाद अन्तर्गत धारा 92, 88, 89, 188, 209, आर.टी. एक्ट
142/दावा/2019


यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु बहहाजरी .. मिनजानिब मुदई .. मिनजातिब मुदायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व अंतिम डिक्री जारी की जाती है कि वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर कृषि भूमि खसरा संख्या 1001 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा वाके ग्राम बाजड़ तहसील तालेड़ा जिला बून्दी, राजस्थान मे स्थित है। उपरोक्त कृषि भूमि का वादीगण को संयुक्त रूप से 1/6 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाता है तथा राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करने के लिए तहसीलदार तालेड़ा को आदेशित किया जाता है साथ ही मे प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 एवं प्रतिवादी संख्या 4 व 5 की माता वीरपाल कौर का नाम राजस्व रिकार्ड से विलोपित किया जावे।

इस प्रकार वाद पत्र की चरण संख्या 3 मे वर्णित कृषि भूमि खसरा संख्या 1575 रकबा 7 बीघा वाके ग्राम सुवांसा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी, राजस्थान मे स्थित है। उपरोक्त कृषि भूमि मे वादीगण को संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाता है तथा राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करने के लिए तहसीलदार तालेड़ा को आदेशित किया जाता है साथ ही मे प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 एवं प्रतिवादी संख्या 4 व 5 की माता वीरपाल कौर का नाम राजस्व रिकार्ड से विलोपित किया जावे।

इस प्रकार वाद पत्र की चरण संख्या 4 मे वर्णित कृषि भूमि खसरा संख्या 595/334 रकबा 16 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम चांदनहैली तहसील तालेड़ा जिला बून्दी, राजस्थान मे स्थित है। उपरोक्त कृषि भूमि पर वादी संख्या 1 को 4/126 हिस्सा का खातेदार एवं वादी संख्या 2 को 4/126 हिस्सा का खातेदार तथा वादी संख्या 3 को 7/126 हिस्सा का खातेदार घोषित किया गया जाता है तथा राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करने के लिए तहसीलदार तालेड़ा को आदेशित किया जाता है साथ ही प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 एवं प्रतिवादी संख्या 4 व 5 की माता वीरपाल कौर का नाम राजस्व रिकार्ड से विलोपित किया जावे।

इस प्रकार वाद पत्र की चरण संख्या 5 मे वर्णित कृषि भूमि खसरा संख्या 666/454 रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम चांदन हैली तहसील तालेड़ा जिला बून्दी मे स्थित है उपरोक्त कृषि भूमि मे वादी संख्या 1 व 2 को संयुक्त रूप से 329/675 हिस्से का खातेदार




उपखण्ड अधिकारी
तालेड़ा जिला बून्दी

किया जाता है तथा वादी संख्या 3 को उपरोक्त भूमि पर 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है, इसी प्रकार कृषि भूमि खसरा संख्या 673/464 रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम चांदन हैली तहसील तालेड़ा जिला बून्दी, राजस्थान में स्थित है उपरोक्त भूमि पर वादीगण को संयुक्तरूप से 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है तथा तहसीलदार तालेड़ा को आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में उपरोक्त हिस्सानुसार वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 एवं प्रतिवादी संख्या 4 व 5 की माता वीरपाल कौर का नाम राजस्व रिकार्ड से विलोपित किया जावे। यदि कोई बैंक रहन हो तो बैंक रहन बदस्तुर रहेगा।

नीज..... मुबलिक..... बाबत..... खर्चा इस मुकदमे के मय
 षूद व षरह..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक
 को अदा करें।

मुद्दे	रुपया	पैसे	मुदायलाह	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालात		
स्टाम्प वकालात			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय हुकमनामा			हुकमनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान					

बसबा मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख 05 माह 01 वर्ष 2021 को जारी की गई।



(कमल कर्मान मीना)
 उपस्थान अधिकारी
 तालेड़ा जिला बून्दी